अर्द्ध शा० पत्र संख्या: डीजी-परिपत्र - 01/2014

रिज़वान अहमद,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ-226001
DIRECTOR GENERAL OF POLICE
UTTAR PRADESH
1- Tilak Marg, Lucknow-226001

दिनांक: जनवरी 02, 2014

प्रिय साथियों

आज के बदले हुए परिवेश में समाज द्वारा हमारे कार्यों का आंकलन अलग-अलग मानकों पर किया जाता है, जिसमें सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, अपराध नियन्त्रण, अपराधों के अनावरण के साथ-साथ एक लोक सेवक के रूप में जनता से हमारा व्यवहार भी एक महत्वपूर्ण संकेतक है। आप सभी अवगत हैं कि पूर्व में कई अवसरों पर मीडिया चैनलों तथा समाचार पत्रों द्वारा भी कतिपय मौकों पर पुलिस के ऐसे व्यवहार जिसमें मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार करते हुए पुलिस द्वारा की गई कार्यवाहियों को प्रकाशित एवं प्रसारित किया गया है। हम सब यह जानते हैं कि ऐसे प्रकाशन एवं प्रसारण से हमारी छवि धूमिल होती है तथा उ0प्र0 पुलिस के बारे में समाज में एक गलत सन्देश भी जाता है। हमारी यह धारणा है कि ऐसी कुछ घटनायें अपवाद स्वरूप हैं तथा मीडिया द्वारा इसे अकारण अधिक महत्व दिया जा रहा है, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि बदलते परिवेश में हम गुलाम शासनकाल की दमनकारी पुलिस की मानसिकता से उभरकर जनता के प्रति अपने व्यवहार को मानवीय संवेदनाओं से ओत-प्रोत नहीं कर पाये हैं। विशेषकर समाज के गरीब, वंचित, अशिक्षित एवं निर्बल वर्गों के साथ आम पुलिस जनों का व्यवहार मित्रवत नहीं पाया जाता है तथा यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसे लोगों के साथ व्यवहार कुछ हद तक संवेदनशून्य भी रहता है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। हमारा व्यवहार सभी नागरिकों के साथ एक समान तथा उनके मानवाधिकारों एवं उनके मूलभूत अधिकारों के प्रति अत्यन्त ही सम्मानजनक होना केवल अपेक्षित ही नहीं है, बल्कि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में यह हमारा एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी है ।

2. हमारी जंग समाज विरोधी तत्वों, गुण्डों माफियाओं एवं पेशेवर अपराधियों से है। इन सभी के विरूद्ध हमें कठोरतम रूख अपनाते हुए विधिक कार्यवाही करनी है। अतः ऐसे तत्वों के साथ हमारा व्यवहार जहां कठोरतम होना चाहिए, वहीं जिस समाज एवं जनता की सेवा में हम लगे हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार मित्रवत होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि भविष्य के लिए हम सभी यह प्रण करें कि जनता के साथ हम अपना व्यवहार मानवीय संवेदनशीलता से परिपूर्ण रखेंगे तथा समाज एवं शासन की जो हमसे अपेक्षायें एवं हमारे जो उत्तरदायित्व निर्धारित हैं, हम उनका निर्वहन संवेदनशीलता से अत्यन्त ही त्वरित गति, कुशलता एवं पारदर्शी तरीके से करेंगे। अपराधिक घटनाओं की रोकथाम एवं उनके अनावरण में कार्यवाही कानून के दायरे में रहते हुए ही करेंगे तथा किसी भी दशा में मानवीय मूल्यों के हनन की कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास में परिवार पर दबाव बनाने हेतु परिवार के सदस्यों को थाने पर अवैध तरीके से बैठाना अथवा किसी संदेही व्यक्ति को थाने पर बैठाना, थाने पर उत्पीड़ित करना, ऐसी कोई कार्यवाही हम कदापि नहीं करेंगे। कानून-व्यवस्था के प्रकरणों में भी जनता के साथ व्यवहार अत्यन्त ही शालीन एवं कानून के दायरे में होना चाहिए। भीड़ की उत्तेजना के उत्तर में कानून से परे जाकर उत्तेजित होकर कार्यवाही करने से हमें बचना चाहिए तथा कानून के दायरे में रहकर ही विधिक कार्यवाही अमल में लानी चाहिए ।

3. मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि भविष्य में यदि ऐसे दृष्टान्त पाए जाते हैं, जिनमें हमारा व्यवहार मानवीय मूल्यों के विपरीत एवं संवेदनहीन रहा है, तो उसे किसी भी दशा में नजरन्दाज नहीं किया जायेगा एवं सम्बंधित कर्मी तथा उनके पर्यवेक्षक अधिकारी के प्रति गम्भीर रूख अपनाते हुए उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही भी की जायेगी। मैं चाहूंगा कि जनपदों में अधीनस्थों का सम्मेलन कर उन्हें उनके दायित्वों एवं जनता के प्रति अच्छे व्यवहार के बारे में समझाकर उसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

भवदीय,

2/1/14

(रिज़वान अहमद)

समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स/रेलवेज, उ0प्र0।
समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र/रेलवेज, उ0प्र0।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद/रेलवेज उ0प्र0।